न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं088 / 2019 तारीख रजू:– 15.10.2018

पीठासीन अधिकारी :– अनूपसिंह

R.A.S.

1.	आशीष	पिसरान मुकेश नाबालिग जरिये संरक्षिका माता मिथलेश जाति जाटव निवासी खातीपुरा तहसील हिण्डौन जिला करौली ———————————— सायलान
2.	पायल	
3.	प्रिया	

बनाम

1. धूपसिंह पुत्र बुद्धा | जाति जाटव निवासी खातीपुरा तहसील हिण्डौन जिला करौली
2. सुरेन्द्र पुत्र धूपसिंह |
3. देवेन्द्र पुत्र धूपसिंह नाबालिग जरिये संरक्षक पिता धूपसिंह जाति जाटव निवासी खातीपुरा तहसील हिण्डौन जिला करौली
4. सबरजिस्ट्रार सूरौठ, जिला करौली ———————— गैरसायलान

प्रार्थना–पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :– 1. श्री राधेश्याम शर्मा एडवोकेट सायलान

निर्णय दिनांक :– 14-3-2022

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सायलान ने उपरोक्त उनवानी दावा बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा माननीय न्यायालय में पेश कर दिया है, सायलान का दावा काफी सुदृढ है। जिसमें सायलान को सफलता मिलने की पूरी पूरी उम्मीद है।

प्रार्थना पत्र के मद नं02 में दर्ज किया है कि सायलान के पिता मुकेश का दिनांक 23.05.2012 को स्वर्गवास हो चुका है तथा गैरसायल नं01 सायलान का बाबा है तथा गैरसायल नं0 2 व 3 सायलान के [illegible]।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anoop Singh
Date: 2022.06.18 12:37:29 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र के मद नं03 में दर्ज किया है [illegible] गैरसायल सं01 की पैतृक संयुक्त कब्जे व खातेदारी की आराजीयात खसरा नम्बर [illegible] रकबा 0.06 है0, 3041 रकबा 0.06 है0, 3177 रकबा 0.02 है0, 3412/[illegible] रकबा 0.11 है0, 3414 रकबा 0.27 है0, 3415 रकबा 0.18 है0, 3416 रकबा 0.26 है0, 3423 रकबा 0.03 है0, कुल किता 9 कुल रकबा 1.00 है0 में गैरसायल [illegible] का 1/6 हिस्सा तथा खसरा नम्बर 3079 रकबा 0.17 है0, 3174 रकबा 0.02 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.19 है0 में गैरसायल सं01 का 1/6 हिस्सा तथा खसरा नम्बर 3035 रकबा 0.08 है0, 3036 रकबा 0.06 है0, 3037 रकबा 0.06 है0, कुल किता 3 कुल रकबा 0.20 है0 में गैरसायल नं01 का 1/2 हिस्सा तथा खसरा नम्बर 2988 रकबा

0.34 है0 में गैरसायल नं01 का 1/2 हिस्सा तथा खसरा नम्बर 2989 रकबा 0.49 है0, 2990 रकबा 0.01 है0, कुल रकबा 0.50 है0 में गैरसायल नं01 का 1/2 हिस्सा तथा खसरा नम्बर 3018 रकबा 0.11 है0, 3019 रकबा 0.10 है0, 3020 रकबा 0.09 है0, 3169 रकबा 0.07 है0, कुल किता 4 कुल रकबा 0.37 है0 में गैरसायल नं01 का 1/6 हिस्सा वाकेतन ग्राम खातीपुरा तहसील हिण्डौन में स्थित है। उक्त आराजीयात गैरसायल नं01 व अन्य सहखातेदारों के नाम हाल राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सं0 2073–76 में दर्ज है।

प्रार्थना पत्र के मद नं04 में दर्ज किया है कि आराजीयात मुतजिका मद नं03 प्रार्थना पत्र सायलान की पैतृक भूमि है तथा गैरसायल नं01 को बुजुर्गों से विरासत में मिली है तथा उक्त भूमि पैतृक भूमि होने के कारण सायलान का उक्त भूमि में बाई बर्थ (जन्म से) ही कानूनन हिस्सा है, जिसे प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

प्रार्थना पत्र के मद नं05 में दर्ज किया है कि सायलान व गैरसायल नं01 का एक शामलाती मकान पाटौर पोश 7 गह मकान में तीन कमरे, बरामदा व हॉल मकान हुआ है। जिसमें सायलान के हिस्से में एक कमरा व 2 गैह पाटौर आती है तथा सायलान को पांच वर्ष पूर्व इन्द्रा आवास योजना के तहत 55000/– रूपया की राशि मिली थी, जिनसे उक्त मकानात का निर्माण सायलान ने करवाया था तथा एक दुकान सायलान के पिता ने बनवाई थी, जिसमें सायलान का पिता मुकेश दुकान करता था, जिसमें दुकान का सारा सामान रखा हुआ है, जिसमें गैरसायल नं01 ने सायलान का पिता खत्म होते ही ताला लगा रखा है तथा पूरे सामान को अपने कब्जे में कर रखा है।

प्रार्थना पत्र के मद नं06 में दर्ज किया है कि सायलान के पिता की मृत्यु हो जाने के पश्चात गैरसायल सं01 लगायत 3 ने सायलान को गांव से निकालने के लिए व सायलान को अपनी पैतृक भूमि में हिस्सा देने से बंचित करने की योजना बना रखी है तथा गैरसायल सं01 ने आराजीयात मुतजिका मद नं03 प्रार्थना पत्र की सम्पूर्ण भूमि को गैरसायल सं02 व 3 के नाम रजिस्ट्री करवाने को उतारू हो रहा है। जिसका गैरसायल सं01 को कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है।

प्रार्थना पत्र के मद नं07 में दर्ज किया है कि बाका दिनांक 07.10.2018 सुबह 10 बजे का है कि सायलान ने गैरसायल नं01 से कहा कि बाबा आप हमें हमारे हिस्से की भूमि को अलग कर दो। तब गैरसायल सं.1 ने सायलान व सायलान की मॉ को फोश गालियॉ देने लग गया तथा गैरसायल सं01 ता 3 ने सायलान की मॉ की मारपीट कर सायलान को गांव से निकालकर भगा दिया तथा सायलान व सायलान की मॉ से कहा कि तुम्हें आराजीयात मुतजिका मद नं03 प्रार्थना पत्र में से कोई हिस्सा नहीं दूंगा तथा उक्त भूमि को गैरसायल सं02 व 3 के नाम रजिस्ट्री करवाउंगा। तब सायलान ने गैरसायल सं01 के हाथ जोडकर विनती की कि आप ऐसा मत करों। लेकिन गैरसायल सं01 ने सायलान की एक भी नहीं सुनी तथा सायलान व सायलान की मॉ की मारपीट कर भगा दिया तभी से ही सायलान अपनी ननिहाल में रह रहे हैं।

प्रार्थना पत्र के मद नं08 में दर्ज किया है कि गैरसायल नं01 ने सायलान को आराजीयात मुतजिका मद नं03 प्रार्थना पत्र में से हिस्सा नहीं दिया व सायलान की पैतृक हिस्से की भूमि को गैरसायल सं02 व 3 के नाम रजिस्ट्री करवा दी तो सायलान बर्बाद हो जायेंगे। जिसकी पूर्ती द्रव्य में भी सम्भव नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anoop Singh
Date: 2022.06.18 12:37:29 IST
Reason: SelfAttested

इसलिए गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायसंगत है।

प्रार्थना पत्र के मद नं09 में दर्ज किया है कि प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का सन्तुलन, अपूर्तनीय क्षति का बिन्दू सायलान के पक्ष में बखूबी साबित है।

अतः प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश कर निवेदन किया है कि गैरसायलान को जरिये आदेश अस्थायी निषेधाज्ञा से ताफैंसला दावा इस प्रकार पाबन्द फरमाया जावे कि गैरसायलान आराजीयात खसरा नम्बर 3017 रकबा 0.06 है0, 3041 रकबा 0.06 है0, 3177 रकबा 0.02 है0, 3412/6216 रकबा 0.11 है0, 3414 रकबा 0.27 है0, 3415 रकबा 0.18 है0, 3416 रकबा 0.26 है0, 3423 रकबा 0.03 है0, कुल किता 9 कुल रकबा 1.00 है0 तथा खसरा नम्बर 3079 रकबा 0.17 है0, 3174 रकबा 0.02 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.19 है0 तथा खसरा नम्बर 3035 रकबा 0.08 है0, 3036 रकबा 0.06 है0, 3037 रकबा 0.06 है0, कुल किता 3 कुल रकबा 0.20 है0 तथा खसरा नम्बर 2988 रकबा 0.34 है0 तथा खसरा 2989 रकबा 0.49 है0, 2990 रकबा 0.01 है0, कुल रकबा 0.50 है0 तथा खसरा नम्बर 3018 रकबा 0.11 है0, 3019 रकबा 0.10 है0, 3020 रकबा 0.09 है0, 3169 रकबा 0.07 है0, कुल किता 4 कुल रकबा 0.37 है0 वाके ग्राम खातीपुरा तहसील हिण्डौन में सायलान को अपने हिस्से की भूमि के उपयोग उपभोग में बाधा, मजाहमत न तो स्वंय पैदा करें, न ही किसी अन्य से करावें तथा गैरसायल नं01 उक्त आराजीयात को गैरसायल नं02 व 3 के हक में रहन–वय व पंजीबद्ध नहीं करावें तथा गैरसायल नं04 उक्त आराजीयात को पंजीबद्ध नहीं करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायलान को जरिये नोटिस तबल किया गया। दिनांक 23.07.2021 को गैरसायल सं04 बावजूद तामील उपस्थित नहीं हुए इसलिए उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही करने के आदेश दिये गये। गैरसायल सं01 ता 3 बाद तामील जरिये अधिवक्ता श्री रघुवीरसिंह एडवोकेट के उपस्थित आये। जिनको कई अवसर दिये जाने के उपरान्त भी जबाव प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया। इसलिए दिनांक 11.08.2021 को जबाव प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा बन्द करने के आदेश दिये गये।

वकील सायलान ने दस्तावेजी सबूत में फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2073–76 किता 6 पेश की है।

वकील सायलान उपस्थित। गैरसायल सं01 ता 3 के अधिवक्ता बार–बार आवाज दिलाने के उपरान्त भी उपस्थित नहीं हुए। वकील सायलान की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वकील सायलान ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और सायलान का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने [illegible] किया है।

वकील सायलान की एकपक्षीय बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। सायलान की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2073–76 के अनुसार विवादित आराजीयात खसरा नम्बर 2988 रकबा 0.34 है0 वाके ग्राम खातीपुरा तहसील हिण्डौन की खातेदारी घूपसिंह पुत्र बुद्धा हि01/2 जाति जाटव सा0 खातीपुरा खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है तथा शेष हिस्से का अन्य खातेदार हैं।

नकल जमाबन्दी सं0 2073–76 के अनुसार विवादित आराजीयात खसरा नम्बर 2989 रकबा 0.49 है0, 2990 रकबा 0.01 है0 कुल किता 2 कुल

Signature Not Verified
Digitally signed by Anoop Singh
Date: 2022.06.18 12:37:29 IST
Reason: SelfAttested

रकबा 0.50 है0 वाके ग्राम खातीपुरा तहसील हिण्डौन की खातेदारी घूपसिंह पुत्र बुद्धा हि01/2 जाति जाटव सा0 खातीपुरा खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है तथा शेष हिस्से का अन्य खातेदार हैं।

नकल जमाबन्दी सं0 2073–76 के अनुसार विवादित आराजीयात खसरा नम्बर 3017 रकबा 0.06 है0, 3041 रकबा 0.05 है0, 3177 रकबा 0.02 है0, 3178 रकबा 0.02 है0, 3412/6216 रकबा 0.11 है0, 3414 रकबा 0.27 है0, 3415 रकबा 0.18 है0, 3416 रकबा 0.26 है0, 3423 रकबा 0.03 है0, कुल किता 9 कुल रकबा 1.00 है0 वाके ग्राम खातीपुरा तहसील हिण्डौन की खातेदारी घूपसिंह पुत्र बुद्धा हि01/6 जाति जाटव सा0 खातीपुरा खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है तथा शेष हिस्से का अन्य खातेदार हैं।

नकल जमाबन्दी सं0 2073–76 के अनुसार विवादित आराजीयात खसरा नम्बर 3018 रकबा 0.11 है0, 3019 रकबा 0.10 है0, 3020 रकबा 0.09 है0, 3169 रकबा 0.07 है0, कुल किता 4 कुल रकबा 0.37 है0 वाके ग्राम खातीपुरा तहसील हिण्डौन की खातेदारी घूपसिंह पुत्र बुद्धा हि01/6 जाति जाटव सा0 खातीपुरा खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है तथा शेष हिस्से का अन्य खातेदार हैं।

नकल जमाबन्दी सं0 2073–76 के अनुसार विवादित आराजीयात खसरा नम्बर 3079 रकबा 0.17 है0, 3174 रकबा 0.02 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.19 है0 वाके ग्राम खातीपुरा तहसील हिण्डौन की खातेदारी घूपसिंह पुत्र बुद्धा हि01/6 जाति जाटव सा0 खातीपुरा खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है तथा शेष हिस्से का अन्य खातेदार हैं।

नकल जमाबन्दी सं0 2073–76 के अनुसार विवादित आराजीयात खसरा नम्बर 3035 रकबा 0.08 है0, 3036 रकबा 0.06 है0, 3037 रकबा 0.06 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.20 है0 वाके ग्राम खातीपुरा तहसील हिण्डौन की खातेदारी घूपसिंह पुत्र बुद्धा हि01/2 जाति जाटव सा0 खातीपुरा खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है तथा शेष हिस्से का अन्य खातेदार हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि सायलान के बाबा गैरसायल सं01 उक्त विवादित आराजीयात में रिकोर्डेड सहखातेदार काश्तकार है अर्थात उक्त विवादित आराजीयात गैरसायल सं01 व अन्य सहखातेदारों की संयुक्त खातेदारी की है। सायलान गैरसायल सं01 की संतति हैं। उक्त विवादित आराजीयात गैरसायल सं01 को विरासत में प्राप्त हुई होना प्रतीत होता है क्योंकि यदि गैरसायल सं01 की स्वअर्जित सम्पत्ति होती तो वे उक्त प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का जबाव पेश करते और अपना उज्र रखते। गैरसायल सं01 को कई अवसर दिये जाने के उपरान्त भी उनकी ओर से जबाव प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया है। इस प्रकार गैरसायल सं01 को प्राप्त उक्त विवादित आराजी[illegible] होना सही प्रतीत होता है तथा पैत्रिक भूमि में गैरसायल सं01 के वा[illegible] में सायलान का भी हिस्सा होना प्रतीत होता है। जिस[illegible] जा सकता। ऐसी स्थिति में यदि गैरसायलान को जरिये अस्थायी नि[illegible] पाबन्द नहीं किया गया तो उससे सायलान के हक, हकूकों पर विपरीत प्रभाव पडने की पूर्ण सम्भावना नजर आती है। इसलिए गैरसायलान जरिये [illegible]थायी निषेधाज्ञा से ताफैंसला दावा पाबन्द किया जाना न्यायोचित है। सायलान का प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्तनीय क्षति का बिन्दू सायलान के पक्ष में बखूबी साबित है। ऐसे हालात में सायलान का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान स्वीकार योग्य न्यायोचित प्रतीत होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anoop Sing
Date: 2022.06.18 12:37:29 IST
Reason: SelfAttested

अतः सायलान का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान स्वीकार किया जाकर गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से ताफैंसला दावा पाबन्द किया जाता है कि विवादित आराजीयात खसरा नम्बर 3017 रकबा 0.06 है0, 3041 रकबा 0.06 है0, 3177 रकबा 0.02 है0, 3178 रकबा 0.02 है0, 3412/6216 रकबा 0.11 है0, 3414 रकबा 0.27 है0, 3415 रकबा 0.18 है0, 3416 रकबा 0.26 है0, 3423 रकबा 0.03 है0, कुल किता 9 कुल रकबा 1.00 है0 तथा खसरा नम्बर 3079 रकबा 0.17 है0, 3174 रकबा 0.02 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.19 है0 तथा खसरा नम्बर 3035 रकबा 0.08 है0, 3036 रकबा 0.06 है0, 3037 रकबा 0.06 है0, कुल किता 3 कुल रकबा 0.20 है0 तथा खसरा नम्बर 2988 रकबा 0.34 है0 तथा खसरा नम्बर 2989 रकबा 0.49 है0, 2990 रकबा 0.01 है0, कुल रकबा 0.50 है0 तथा खसरा नम्बर 3018 रकबा 0.11 है0, 3019 रकबा 0.10 है0, 3020 रकबा 0.09 है0, 3169 रकबा 0.07 है0, कुल किता 4 कुल रकबा 0.37 है0 वाके ग्राम खातीपुरा तहसील हिण्डौन में सायलान को अपने हिस्से की भूमि के उपयोग उपभोग में बाधा, मजाहमत न तो स्वंय पैदा करें, न ही किसी अन्य से करावें तथा गैरसायल नं01 उक्त आराजीयात को गैरसायल नं02 व 3 के हक में या अन्य किसी दीगर व्यक्ति के हक में किसी भी प्रकार से हस्तातंरण नहीं करें तथा गैरसायल नं04 उक्त आराजीयात के बाबत् किसी प्रकार के दस्तावेज को रजिस्टर्ड व पंजीबद्ध नहीं करें। रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली फैंसल शुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर मूल दावा के साथ शामिल मिसल रहे।

निर्णय आज दिनांक 14-3-2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली

Signature Not Verified

Digitally signed by Anoop Singh
Date: 2022.06.18 12:37:29 IST
Reason: SelfAttested